कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-02.07.2024

विषय:- नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त सतीश बिन्द थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा गुमशुदा/अपहृता की बरामदगी तथा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट के नेतृत्व मे थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-0252/2024 धारा- 137/87 भा0न्या0सं0 थाना कैण्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सतीश बिन्द पुत्र सोलू बिन्द निवासी ग्राम कुसुम्ही थाना धानापुर जनपद चन्दौली को आज दिनांक-02.07.2024 को समय करीब 08.50 बजे दौराने पूछताछ थाना कैण्ट परिसर से गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक 02.07.2024 को वादी राजेश कुमार पुत्र शिवमूरत गौड़ निवासी 39 GTC (MH) कैन्टोनमेन्ट थाना कैण्ट जनपद वाराणसी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि सतीश विन्द पुत्र सोलू विन्द के द्वारा वादी की पुत्री उम्र 17 वर्ष को बहला-फुसला कर अपने साथ लेकर चला गया है। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कैण्ट में मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 आकाश सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सतीश बिन्द पुत्र सोलू बिन्द निवासी ग्राम कुसुम्ही थाना धानापुर जनपद चन्दौली उम्र 18 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

थाना परिसर कैण्ट दिनांक-02.07.2024 को समय करीब 08.50 बजे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 सत्यम यादव थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 आकाश कुमार सिंह थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 अनुज कुशवाहा थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।